न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 349/2024
अनवान : –

1. अमीलाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।
2. जोतराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. चिड़िया पुत्री अनकौरी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।
2. परमेश्वरी पुत्री अनकौरी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 21/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 108/108 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0. 2280 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 एवं वादीगण की माता मृतका अनकोरी पत्नी फूलाराम एवं वादीगण के भाई मृतक मुखराम पुत्र फूलाराम प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 68/67 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 व वादीगण की माता मृतका अनकोरी पत्नी फूलाराम प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/94 के खसरा नं. 57/3 की 1.0620 है0 भूमि मृतक मुखराम पुत्र मनफूल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड एवं खाता संख्या 6/6 के खसरा नं. 57/4 की कुल तादादी 4.2620 है0 भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी की माता अनकोरी पत्नी मनफूल उर्फ फुलाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस मुखराम (पुत्र), अमीलाल (पुत्र), जोतराम (पुत्र), चिड़िया (पुत्री), परमेश्वरी (पुत्री) हुए जिनमें से मुखराम पुत्र मनफूल की न्यायालय सिविल न्यायधीश नोहर के अनवानी प्रकरण अमीलाल बनाम हर आम व खास सीवील वाद संख्या 26/2021 के आदेश दिनांक 28. 05.2022 को सिविल मृत्यु घोषित की गई है जिसके अनुसार मुखराम पुत्र मनफूल दिनांक 28.05.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:19:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2022 को लावल्द फोत हो चुका है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज सदस्यों के समक्ष अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार बाद हक त्याग रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 108/108 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2280 है0 भूमि एवं 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 68/67 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि दोनो खातो में वादीगण की माता मृतका अनकोरी पत्नी फूलाराम एवं वादीगण के भाई मृतक मुखराम पुत्र फूलाराम प्रत्येक के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/94 के खसरा नं. 57/3 की 1.0620 है0 भूमि में वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा सोती बड़ी के खाता संख्या 6/6 में वादी अपना नाम दुरूस्त करवा कर अमीलाल पुत्र मनफूल करवा चाहता है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी नवीनतम जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:19:49 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। [illegible] बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की [illegible] की माता अनकोरी पत्नी फुलाराम व मुखराम पुत्र फुलाराम के नाम दर्ज है। अनकोरी व मुखराम का देहान्त हो चुका है। वादी की माता अनकोरी पत्नी मनफूल उर्फ फुलाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुखराम (पुत्र), अमीलाल (पुत्र), जोतराम (पुत्र), चिड़िया (पुत्री), परमेश्वरी (पुत्री) हुए जिनमें से मुखराम पुत्र मनफूल की न्यायालय सिविल न्यायधीश नोहर के अनवानी प्रकरण अमीलाल बनाम हर आम व खास आदि प्रकरण संख्या 26/2021 में आदेश दिनांक 28.05.2022 को सिविल मृत्यु घोषित की गई है जिसके अनुसार मुखराम पुत्र मनफूल दिनांक 28.05.2022 को लावल्द फोत हो चुका है। अनकोरी व मुखराम के नाम दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने हक व हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 जो कि वादीगण की बहिने है ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। सोती बड़ी के खाता संख्या 6/6 में वादी अपना नाम दुरूस्त करवा कर अमीलाल पुत्र मनफूल करवा चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 108/108 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2280 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 एवं वादीगण की माता मृतका अनकोरी पत्नी फूलाराम एवं वादीगण के भाई मृतक मुखराम पुत्र फूलाराम प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 68/67 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 व वादीगण की माता मृतका अनकोरी पत्नी फूलाराम प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/94 के खसरा नं. 57/3 की 1.0620 है0 भूमि मृतक मुखराम पुत्र मनफूल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड एवं खाता संख्या 6/6 के खसरा नं. 57/4 की कुल तादादी 4.2620 है0 भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी भूमि अनकोरी व मुखराम के नाम दर्ज है अनकोरी व मुखराम का देहान्त हो चुका है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता2 है जो की हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार अनकोरी पत्नी फुलाराम उर्फ मनफूल के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] करते हुए इकबाल ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक [illegible] है सो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:19:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 108/108 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2280 है0 भूमि में मृतका अनकोरी पत्नी फूलाराम व मृतक मुखराम पुत्र फुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर एवं 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 68/67 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि में मृतका अनकोरी पत्नी फूलाराम का नाम कलमजन किया जाकर तथा रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/94 के खसरा नं. 57/3 की 1.0620 है0 भूमि में मृतक मुखराम पुत्र मनफूल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा सभी खातों में वादीगण के पिता का नाम फूलाराम की बजाये मनफूल का संशोधन किया जाता है एवं रोही मौजा सोती बड़ी के खाता संख्या 6/6 में वादी संख्या 1 का नाम अमीलाल पुत्र मनफूल उर्फ फूलाराम की जगह अमीलाल पुत्र मनफूल का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:19:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 349/2024

अनवान : –

1. अमीलाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।
2. जोतराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. चिड़िया पुत्री अनकौरी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर।
2. परमेश्वरी पुत्री अनकौरी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी सोती पड़िहारी तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 349 सन 2024 निर्णय दिनांक – 21/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 108/108 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2280 है0 भूमि में मृतका अनकोरी पत्नी फूलाराम व मृतक मुखराम पुत्र फुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर एवं 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 68/67 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि में मृतका अनकोरी पत्नी फूलाराम का नाम कलमजन किया जाकर तथा रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/94 के खसरा नं. 57/3 की 1.0620 है0 भूमि में मृतक मुखराम पुत्र मनफूल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा सभी खातों में वादीगण के पिता का नाम फूलाराम की बजाये मनफूल का संशोधन किया जाता है एवं रोही मौजा सोती बड़ी के खाता संख्या 6/6 में वादी संख्या 1 का नाम अमीलाल पुत्र मनफूल उर्फ फूलाराम की जगह अमीलाल पुत्र मनफूल का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:19:49 IST
Reason: SelfAttested